# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

## बइजलास–अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस

**मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 21/2024**
**जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2024/144**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| श्री गिरधारीलाल पुत्र सुरजमल<br>जाति–ब्राह्मण,निवासी–मांझी<br>तहसील–डेगाना,जिला–नागौर | | 1. प्रेमसुख शर्मा पुत्र झुमरलाल,जाति–ब्राह्मण<br>निवासी–मांझी,तहसील–डेगाना ।<br>2. श्री ओमप्रकाश,उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना। |

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री अनिल गौड़ ।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: आदेश :: दिनांक :–27.08.2024

**प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट,डेगाना में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2024 बअनवान प्रेमसुख बनाम गिरधारीलाल वगैरह अधीन धारा 133,142 सी.आर.पी.सी. की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।**

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बिन्दूवार अपनी टिप्पणी जरिऐ पत्र कमांक/कोर्ट/2024/285 दिनांक 06.08.2024 से पेश की हैं,जो संलग्न पत्रावली हैं।

वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना के समक्ष प्रार्थी प्रेमसुख द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.05.2024 को अन्तर्गत धारा 133,142 सी.आर.पी.सी का इस आशय का पेश किया कि उसके मकान के पश्चिमी दिशा में आये रास्ते की जमीन पर गोबर व गन्दा पानी डालकर **अप्रार्थी गिरधारीलाल वगेराह द्वारा न्यूसेंस पैदा कर अवरूद्व कर दिया हैं,जिससे आमजन व पशुओं के लिए बाधा बने हुऐ हैं एवम् हर समय बदबू आती हैं,इसलिए घर में रहना दुश्वार हो गया हैं एवं बीमारी फैलने की संभावना हैं। इसलिए न्यूसेंस को हटाया जावें।**

**प्रार्थी के इस प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर इस प्रकरण में आगामी** तारीख पेशी दिनांक 07.05.2024 नियत की गई। इस प्रकरण में हम गैर सायल की कोई विधिवत तामील **नहीं करवायी गई हैं तथा न ही इस प्रकरण में थानाधिकारी से कोई जॉच आदि करवायी गई हैं। केवल मात्र हमारी तामील मोबाईल से सूचना देना प्रकट कर दिया। हमे इस प्रकरण में जबाब पेश करने का** कोई विधिवत अवसर नहीं दिया गया हैं। प्रश्नगत भूमि हमारी पुस्तैनी जमीन हैं,यह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की जमीन नहीं होते हुवे भी इस प्रकरण को धारा 133 सी.आर.पी.सी. में दर्ज कर लिया हैं,निजी भूमि पर धारा 133 सी.आर.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हुवे भी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिन प्रतिदिन तारीख पेशीयॉ देकर इस प्रकरण में हमारे विरूद्व निर्णय पारित करने एवं हमें हमारी पुस्तेनी भूमि से बेदखल करने की ठान रखी हैं। इसलिए हमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना के पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश से इस प्रकरण में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं हैं।

**विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना अप्रार्थी प्रेमसुख के दबाब व प्रभाव में हैं। इसी संदर्भ में उनके द्वारा प्रेमसुख से एक आवेदन ओर दिनांक 16.05.2024 को पेश करवाया गया एवं उसी रोज उस आवेदन पर रिपोर्ट हेतु खण्ड विकास अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में हमारा यह निवेदन हैं कि जब पूर्व से प्रकरण विचाराधीन हैं तो**



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

नये आवेदन पत्र में बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाना पीठासीन अधिकारी पर संदेह ही पैदा करता हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि हमारे उपर केवल मात्र दबाब बनाने एवं हमारा बाड़ा गैर सायल अकेले हड़पने की नियत से उपखण्ड अधिकारी,डेगाना से सांठगांठ किये हुऐ हैं एवं गॉव में खुले आम धमकियां दे रहा हैं कि एस.डी.एम.साहब डेगाना मेरे खास आदमी हैं,इसलिए मेरे पक्ष में फैसला दे देगें। इसके अलावा गेर सायल संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान व चेम्बर में भी आना जाना रहता हैं,इसलिए मिलीभगती से गलत निर्णय करवाने पर आमादा हैं। इस पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि गैर सायल प्रेमसुख स्वयं द्वारा चबुतरी का निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। इस हेतु पूर्व में थानाधिकारी,डेगाना द्वारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। जिससे यह प्रकट हैं कि अप्रार्थी का दफा 133 सी.आर.पी.सी. का कोई प्रकरण नहीं बनता हैं,इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी महोदय इस प्रकरण में विधिविरूद्व कार्यवाही करने पर उतारू हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह अपने आप ही प्रकट होता हैं कि प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयॉ दी जाकर प्रकरण हमारे विरूद्व फैसल किये जाने की कार्यवाही कर हमारी पुस्तेनी जमीन से हमें बेदखल करने पर आमादा हैं। इसलिए निवेदन हैं कि हमें इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं हैं,इसलिए प्रकरण की सुनवाई हेतु अन्य किसी सक्षम न्यायालय में भेजा जावें।

विद्वान वकील अप्राथी संख्या 1 का बहस में कथन हैं कि प्रकरण दफा 133,142 सी.आर.पी.सी. का बनता हैं या नहीं बनता हैं,इस बिन्दू का निर्णय माननीय इस न्यायालय को नहीं करना हैं,इसलिए इस सम्बन्ध में विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस कोई महत्व नहीं रखती हैं। यह बिन्दू अधीनस्थ न्यायालय को ही तय करना हैं।

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर बिना वजह ही आरोप लगाये हैं। केवल उनके द्वारा कह देनें या फिर मनगढ़त तथ्य दर्ज करने से प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकरण में प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने के कोई ठोस आधार नहीं हैं। क्योंकि प्रकरण पब्लिक न्यूसेंस का हैं,इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर कानून व्यवस्था उनके द्वारा ही बनायी रखी जानी हैं। शीघ्र सुनवाई के बिन्दू के आधार पर किसी प्रकरण को अन्य न्यायालय में नहीं भेजा सकता हैं। हम न तो कभी पीठासीन अधिकारी से मिले हैं एवं न ही हमने ऐसी कोई बात गॉव में की हैं,केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि दफा 133,142 सी0आर0पी0सी0 के प्रकरण के निर्णय की निगरानी माननीय सेशन न्यायलय में होती हैं,इसलिए इस प्रकरण को स्थानान्तरण करने का अधिकार भी माननीय जिला कलक्टर महोदय को नहीं होने से यह प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 का यह भी कथन हैं कि हमारे द्वारा सन् 2022 में परिवाद जन सुनवाई में पेश किये गये हैं,जिसके तहत भी श्रीमान् द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को रास्ता के विवाद के निस्तारण हेतु लिखा गया हैं। हमारे द्वारा पेश की गई फोटोग्राफ का अवलोकन फरमावें जिसमें प्रार्थी द्वारा हमरे घर के सामने गोबर डाला हुआ हैं,स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुकदमा दर्ज हुआ था,उसमें (रास्ता) में किसी प्रकार का एतराज गिरधारीलाल को नहीं होने का तथ्य गिरधारीलाल ने स्वीकार भी किया हैं। अब प्रार्थी (गिरधारीलाल) रास्ता को रोककर अवरोध पैदा कर रहा हैं,अवरोध हटाने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायलय में निवेदन किया हैं तथा उसी पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यवाही की जा रही हैं। मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र श्रीमान् को प्रस्तुत किया गया हैं,जो भारी कोस्ट से खारिज फरमाया जावें।

राजपेरोकार ने दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र पर प्रस्तुत की गई टिप्पणी का हवाला देते हुवे यह कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में हमारे विरूद्व झूठे आरोप लगाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिअनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही हैं।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना के प्रकरण संख्या 02/2024 बअन्वान प्रेमसुख बनाम गिरधारीलाल में उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया हैं तथा प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपना शपथ–पत्र



न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

भी प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयाँ देने का आक्षेप भी लगाया हैं,जो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रस्तुत आदेशिकाओं के अवलोकन से सही प्रतीत होता हैं,क्योंकि प्रकरण की सुनवाई में अत्यधिक जल्दबाजी करना उचित नहीं,पक्षकारान को प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिया जाना भी आवश्यक हैं। प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना द्वारा प्रार्थना–पत्र पर प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 06.08.2024 में भी प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का कोई एतराज दर्ज नहीं किया हैं।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस यह कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट को उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पत्रावली स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हैं कि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय में दिनांक 28.06.2024 को प्रस्तुत हुआ हैं,इसलिए दण्ड प्रकिया संहिता,1973 की धारा 411 के तहत जिला मजिस्ट्रेट अपने किसी अधीनस्थ उप–खण्ड मजिस्ट्रेट को किसी मामले को निपटाने हेतु सौंप सकता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2024 अन्वान प्रेमसुख बनाम गिरधारीलाल को आगामी विधिवत् सुनवाई हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता हैं। उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डेगाना को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट,मेड़ता को सुनवाई हेतु भिजवायी जावें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट,मेड़ता को आदेशित किया जाता हैं कि प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के उभय पक्षों को उपखण्ड मजिस्ट्रेट,मेड़ता के न्यायालय में दिनांक 05.09.2024 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता हैं।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर